न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–509 सन् 2014

चिंता देवी वो अन्य.....................वादीगण

बनाम

रामानंद तिवारी वो अन्य ....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 02.08.2022

उभय पक्ष अनुपस्थित है। उभय पक्ष उचित पैरवी करें। आज अभिलेख वादी सं0 03 की ओर से आदेश 22 नियम 3 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 23.06.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी सं0 03 का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के वादी सं0 1 चिन्ता देवी की मृत्यु दिनांक 10.04.2022 को अपने निवास स्थान पर हो चुकी है। उक्त वाद में वादी सं0 01 के मरनोपरांत उनके जायज वारिसान 1. संजय कुमार शर्मा 2. बबन कुमार शर्मा का नाम अर्जीदावी में प्रतिस्थापित करना आवश्यक है वो वादी सं0 01 का नाम कलमजद करना आवश्यक है। उक्त वाद में वादी सं0 01 के पति पूर्व से वादी सं0 02 के रूप में अभिलेख पर है ऐसी स्थिति में केवल उनके पुत्र एवं पुत्रियां का नाम आना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि वादी सं0 01 का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके जायज वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान करें। प्रतिवादीगण की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी सं0 1 चिन्ता देवी थी, जिनकी मृत्यु दिनांक 10.04.2022 हो गई है। इनके जायज वारिसान को इस वाद में उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। वादी की ओर से उपरोक्त आवेदन समय सीमा के अंतर्गत दाखिल किया गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

सब जज

सोनपुर सारण।